

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना

3rd Floor, B-Block, Udyog Bhawan, C-Scheme, Jaipur. Ph. No. 2229386, 5188112, Fax. No. 2229894)

क्रमांक :- प.1(6)ग्रावि./आरजीएवीपी/2011/11617-29
आदेश

दिनांक :-03.12.2012

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा राजसमंद, टोंक जिलों हेतु पीएफटी मैनेजर/कार्डिनेटर के पदों पर दिनांक 12.07.2012 को आयोजित साक्षात्कार के आधार पर निम्न व्यक्तियों का विशेष चयन के माध्यम से चयन कर प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। जिलेवार आवश्यकता अनुसार निम्न व्यक्तियों का पदस्थापन उनके सामने अंकित जिलों में तातेय वेतनमान एवं ग्रेड पे पर किया जाता है :-

क्र सं.	नाम व पता	पदस्थापित जिला
1.	श्री गिरिराज डाकोत पुत्र श्री रामचन्द्र, अध्यापक राउप्रावि बीकावाला, आमेट, राजसमंद	डीपीएमयू-राजसमंद
2.	श्री गोपाल चन्द्र जीनगर पुत्र श्री घेवर चन्द्र, अध्यापक, ग्रा.व पो.ताल वाया देवगढ, राजसमंद	डीपीएमयू-राजसमंद
3.	श्री मुबारिक हुसैन पुत्र श्री फकीर मोहम्मद, अध्यापक, सर्व शिक्षा अभियान, रेलमगरा, राजसमंद	डीपीएमयू-राजसमंद
4.	श्री महावीर सिंह सोरीगरा पुत्र श्री प्रताप सिंह, अध्यापक, ब्लॉक शिक्षा अधि.बाली,पाली	डीपीएमयू-राजसमंद
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा पुत्र श्री देवीलाल वर्मा अध्यापक, राउमावि कुकडा, राजसमंद	डीपीएमयू-राजसमंद
6.	श्री अनिल कुमार जीनगर पुत्र श्री मदन लाल अध्यापक, सर्व शिक्षा अभियान, रेलमगरा, राजसमंद	डीपीएमयू-राजसमंद
7.	श्री कैलह चन्द्र मीणा पुत्र श्री तेजाराम मीणा अध्यापक, राउप्रावि. विजयगोविन्दपुरा, निवाई टोंक	डीपीएमयू-राजसमंद
8.	श्री बंशी लाल मीणा पुत्र श्री हरपाल मीणा, अध्यापक रामावि. सौलतपुरा, टोंक	डीपीएमयू-टोंक
9.	श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री रामसहाय व.अ. राबाउमावि निवाई, टोंक	डीपीएमयू-टोंक
10.	श्री मदनलाल पुत्र श्री रूपनारायण शर्मा, ग्रामसेवक, पंचायत समिति, सांगानेर, जयपुर	डीपीएमयू-टोंक


M

11.	श्री हरिनारायण मीणा व.अ.जनजाति बालिका आवासीय विधालय, निवाई, टोक	डीपीएमयू-टोंक
12.	श्री गिरधर गोपाल जगरवाल पुत्र श्री महावीर ग्रामसेवक, फागी जिला जयपुर	डीपीएमयू-टोंक
13.	श्री नोरंग लाल पुत्र श्री हीरामल उप प्रबंधक, राज.वित्त निगम, जयपुर	डीपीएमयू-टोंक

उपरोक्त कार्मिकों को अन्य भत्ते परिषद के नियमानुसार दिये जायेंगे तथा इनका लियन पैतृक विभाग में रहेगा। इनको कार्यमुक्त करने पर पुनः मूल पद के वेतनमान पैतृक विभाग अनुसार होंगे।


उपरोक्त कार्मिकों का चयन परियोजना अवधि के लिये है। प्रथमतः एक वर्ष के लिये पदस्थापन किया गया है। जिसे आवश्यकता अनुसार समय-समय पर नियमानुसार कार्य संतोषजनक होने पर बढ़ाया जा सकेगा। सभी चयनित कार्मिक अपने मूल विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर पैतृक विभाग का एनओसी एवं उनके विरुद्ध किसी भी तरह की विभागीय जाँच/अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है, का प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त चयनित सभी कार्मिकों को दिनांक 26.12.2012 तक अपना कार्यग्रहण करना है अन्यथा उनका पदस्थापन निरस्त माना जावेगा।


स्टेट मिशन डायरेक्टर,
आजीविका परियोजना एवं
स्वयं सहायता समूह

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, आरजीएवीपी, जयपुर।
5. निजी सहायक जिला कलक्टर.....
6. निजी सहायक, आयुक्त एवं निदेशक संबंधित विभाग.....
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित जिला परिषद.....
8. जिला परियोजना प्रबन्धक, डीपीएमयू.....
9. संबंधित प्रशिक्षणार्थी श्री.....
10. रक्षित पत्रावली।


स्टेट मिशन डायरेक्टर,
आजीविका परियोजना एवं
स्वयं सहायता समूह